


10/12/25 पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्त व
इनके वकील अनुपादित। न्यायालय समय में
लक-रुक कर तीन बार आवामे लगाई गई
आवजूद अपीलान्त व इनके वकील गैर हाजिर
रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवम् प्रथम
पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
कुशल नुमां होकर डाकिले रफ्तार हो
एवम् नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
चौहान

